## फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–धन्नाराम व अन्य

प्रतिवादी–कन्या देवी व अन्य

केस संख्या : 572/2016 **वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 29.06.2017 | :–निर्णयः–<br>आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।<br>वकील वादी उप0। प्रतिवादी सं. 2 व 4 उप0। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्व दिनांक 22.12.2016 को बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में अनु0 रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।<br>पक्षकारान को सुना गया।<br>वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 3593/1484, 3594/1484, 3595/1484 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम रेनवाल तहसील फागी, जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी वादी की आराजी के पडौसी खातेदार काश्तकार है इस कारण प्रतिवादी जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।<br>वकील प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि यदि पक्षकारान को अपनी–अपनी खातेदारी की भूमि की हद तक पाबंद किया जाता है तो प्रतिवादी को वादी के वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।<br>पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने अपनी आराजीयात की हद तक वादी को पाबंद किये जाने पर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। न्यायहित में वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।<br>अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है पक्षकारान एक दूसरे की आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br>निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेनवाल में सुनाया गया।<br>(सावन कुमार चायल)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी<br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी (जयपुर) | |

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

धन्नाराम व अन्य

बनाम

कन्यादेवी व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 572/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है पक्षकारान एक दूसरे की आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

निज....................मुबलिग....................................................बाबत............................................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बसरह....................................................फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ........................ को जारी की गई।

दस्तखत................

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.................

फागी (जयपुर)

मुहर

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)